यूरोपीय संघ डजिटिल सेवा अधनियिम

प्रलिम्सि के लयि:

यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ (EU), डजिटिल सेवा अधनियिम (DSA), रूस-यूक्रेन संघर्ष

मेन्स के लयि:

डजिटिल सेवा अधनियिम, साइबर सुरक्षा, IT और कंप्यूटर

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देशों ने घोषणा की है कि वे डजिटिल सेवा अधनियिम (DSA), 2022 पर एक राजनीतकि समझौते पर पहुँच गए हैं।
- यह बड़ी इंटरनेट कंपनयिों को गलत सूचना, अवैध और हानकिारक सामग्री के खलिाफ कार्रवाई करने और "इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं तथा उनके मौलकि अधकिारों की उचति सुरक्षा प्रदान करने" के संदर्भ में एक ऐतहिासकि कानून है।
- प्रस्तावति अधनियिम तकनीकी कंपनयिों के स्व-नयिमन के युग को समाप्त करने और 'इस सद्धिांत को व्यावहारकि रूप से लागू करने का प्रयास करता है कि जो ऑफलाइन अवैध है, वह ऑनलाइन भी अवैध होना चाहयि' ।
- भारत में इसी तरह के मुद्दे पर एक वधियक (डेटा संरक्षण वधियक 2019) संसद में लंबति है।

डीएसए तथा इसके प्रावधान:

- **डीएसए के बारे में:** जैसा कि यूरोपीय संघ आयोग द्वारा परभिाषति कयिा गया है, डीएसए **"एकल बाज़ार में बचिौलयिों के दायत्वि और जवाबदेही पर सामान्य नयिमों की एक सारणी"** है तथा **सभी यूरोपीय संघ के उपयोगकार्त्तओं के लयि उच्च सुरक्षा सुनश्चिति करता है** , चाहे उनका देश कोई भी हो।
- **उद्देश्य: जब उपयोगकर्त्ता सामग्री को मॉडरेट करने की बात आती है तो डीएसए बचिौलयिों, वशिष रूप से गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके** को सख्ती से नयिंत्रति करेगा।
- **स्व-नयिमन युग की समाप्ति:** प्लेटफॉर्म को यह तय करने के बजाय कि **अपमानजनक या अवैध सामग्री से कैसे नपिटना है,** डीएसए इन कंपनयिों के पालन के लयि वशिष्टि नयिम और दायत्वि नर्धारति करेगा।
- **प्रयोज्यता:** ईयू के अनुसार, डीएसए **"सरल वेबसाइट्स से लेकर इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक ऑनलाइन सेवाओं की एक बड़ी श्रेणी"** पर लागू होगा।
  - इनमें से प्रत्येक के लयि दायत्वि **उनके आकार और भूमकिा के अनुसार अलग-अलग होंगे।**
  - कानून अपने दायरे में ऐसे प्लेटफॉर्म को लाता है जो इंटरनेट एक्सेस, डोमेन नेम रजस्ट्रिार, होस्टगि सेवाएँ जैसी **क्लाउड कंप्यूटगि** और वेब-होस्टगि सेवाएँ प्रदान करते हैं।
  - हालाँकि इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि '**वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म**' (VLOP) और '**वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन**' (VLOSE) को "अधकि कठोर आवश्यकताओं" का सामना करना पड़ेगा।
    - उदाहरण के लयि यूरोपीय संघ में 45 मलियिन से अधकि मासकि सक्रयि उपयोगकर्त्ताओं वाली कोई भी सेवा इस श्रेणी में आएगी।
    - यूरोपीय संघ में 45 मलियिन से कम मासकि सक्रयि उपयोगकर्त्ताओं वाले लोगों को कुछ नए दायत्वि से छूट दी जाएगी।
- **कार्यान्वयन:** एक बार जब DSA कानून बन जाता है तो प्रत्येक यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य की "डजिटिल सेवाओं के लयि यूरोपीय बोर्ड" के साथ इन्हें लागू करने में प्राथमकि भूमकिा होगी।
  - EU आयोग VLOPs और VLOSEs के लयि उन्नत पर्यवेक्षण और प्रवर्तन करेगा।
  - इन नयिमों के उल्लंघन पर बहुत बड़ा जुर्माना हो सकता है, कंपनी के वैश्वकि वार्षकि कारोबार का 6% जतिना अधकि।

नए नयिम:

- **सामग्री को तीव्रता से हटाना:** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बचिौलयिों जैसे- फेसबुक, गूगल, यूट्यूब आदि को अवैध या हानकिारक सामग्री को

"तीव्रता के साथ हटाने के लिये नई प्रक्रियाओं" को शामिल करना होगा।

- **देखभाल का कर्तव्य लागू करना:** अमेज़न जैसे मार्केटप्लेस को उन विक्रेताओं पर "देखभाल के कर्तव्य" (Impose A Duty Of Care) का पालन करना होगा जो ऑनलाइन उत्पादों को बेचने हेतु अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं।
    - उपभोक्ताओं को ठीक से सूचित करने हेतु उन्हें बेचे गए उत्पादों और सेवाओं पर जानकारी एकत्र कर उपलब्ध करना होगा।
- **ऑडिटिंग मैकेनिज़्म:** DSA "बहुत बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवाओं के लिये उनके द्वारा बनाए गए प्रणालीगत जोखिमों का विश्लेषण करने तथा जोखिम में कमी लाने हेतु विश्लेषण करने के लिये दायित्व" को जोड़ता है।
    - गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को यह ऑडिट हर वर्ष करना होगा।
- **स्वतंत्र शोधकर्त्ता:** अधिनियम इन जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने के लिये अध्ययन हेतु स्वतंत्र रूप से जाँच करने वाले शोधकर्त्ताओं को इन प्लेटफॉर्मों से सार्वजनिक डेटा तक पहुँच प्रदान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता है।
- **भ्रामक इंटरफेस पर प्रतिबंध:** DSA '**डार्क पैटर्न**' या **"भ्रामक इंटरफेस"** पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करता है, जो उपयोगकर्त्ताओं से कुछ ऐसा कराने के लिये डिज़ाइन किया जाता है, जिसके लिये वे अन्यथा सहमत नहीं होंगे।
- **संकट तंत्र:** DSA में एक नया खंड **संकट तंत्र** शामिल है, यह **रूस-यूक्रेन संघर्ष** को संदर्भित करता है, जिसे "राष्ट्रीय डिजिटल सेवा समन्वयकों के बोर्ड की सिफारिश पर आयोग द्वारा सक्रिय" किया जाएगा।
    - हालाँकि ये विशेष उपाय केवल तीन महीने के लिये ही लागू होंगे।
- **पारदर्शिता के उपाय:** यह "उपयोगकर्त्ताओं को सामग्री या उत्पादों की सिफारिश करने के लिये उपयोग किये जाने वाले एल्गोरिदम सहित विभिन्न मुद्दों पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हेतु पारदर्शिता उपायों" का भी प्रस्ताव करता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/european-union-digital-services-act